

## गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

## पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन-पत्र

(समस्त पूर्तियाँ छात्र स्वयं सुवाच्य लेख में करें।)

दिनांक : .....

1. परीक्षार्थी का नाम एवं पूर्ण पता .....
2. परीक्षा का नाम  
(अंकसूची की प्रतिलिपि संलग्न करें) .....
3. नियमित/स्वाध्यायी .....
4. परीक्षा केन्द्र का नाम .....
5. अनुक्रमांक .....
6. नामांकन/पंजीयन क्रमांक .....
7. मुख्य/पूरक परीक्षा वर्ष 200 .....
8. परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि .....

- 
- |   |  |
|---|--|
| 9. विषय तथा प्रश्न-पत्र का नाम जिसमें पुनर्मूल्यांकन/<br>पुनर्गणना करना है<br>(नियमानुसार पुनर्मूल्यांकन हेतु अधिकतम दो प्रश्न-पत्रों की<br>उत्तरपुस्तिकाओं के लिए आवेदन करें।) | प्रश्न-पत्र में प्राप्त अंक<br>प्राप्तांक/पूर्णांक |
|---|--|
- 

1. ....
  2. ....
- 

मैं विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 5 एवं 6 में उपर्युक्त विषय में निहित प्रावधान की शर्तों को तथा समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों को पालन करने के लिए बाध्य हूँ। आवेदन पत्र के साथ अंकसूची की मूल प्रति संलग्न है। अगर मेरे प्राप्तांक, पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप कम होते हैं तो मुझे मान्य होगा।

पता

.....  
 .....  
 .....  
 .....

(परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर)

- नोट :- 1. किसी भी परिस्थिति में विषय परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।
2. महाविद्यालय में प्राप्त अंकसूची की प्राप्ति की तिथि से केवल 15 दिनों के अन्दर ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

कृपया निर्धारित शुल्क ..... स्वीकार करें।

# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

कमांक

/गोप./पुनर्मू./पुनर्ग./

बिलासपुर, दिनांक : .....

## पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की सूचना

**टीप :-** परीक्षा का नाम, अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक, विषय, प्रश्न-पत्र एवं स्वयं के पते की पूर्तियाँ छात्र सुवाच्य लेख में स्वयं करें।

छात्र/छात्रा का नाम .....  
परीक्षा केन्द्र .....  
अनुक्रमांक ..... नामांकन क्रमांक .....  
परीक्षा का नाम ..... वर्ष ..... की मुख्य/पूरक परीक्षा  
विषय 1. .... प्रश्न-पत्र .....  
2. .... प्रश्न-पत्र .....

### कार्यालयीन उपयोग के लिए

आपके पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन-पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के पश्चात् :-

- (i) अंको में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (ii) मात्र अंकों में परिवर्तन हुआ है।
- (iii) अनुत्तीर्ण से पूरक घोषित किया गया है।
- (iv) पूरक से उत्तीर्ण घोषित किया गया है।
- (v) उत्तीर्ण से पूरक घोषित किया गया है।
- (vi) उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है।

पूरक घोषित छात्र को प्राचार्य द्वारा पूरक परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने हेतु (इस पत्र की छायाप्रति संलग्न करने पर) बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन-पत्र जमा करने की अनुमति कृपया दी जावे।

उप/सहायक कुलसचिव (गोपनीय)  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,  
बिलासपुर (छ0ग0)

(छात्र स्वयं का पता सुवाच्य लेख में लिखें)

### भारत शासन सेवार्थ

प्रति,

.....  
.....  
.....  
.....

प्रेषक

कुलसचिव

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (छ0ग0) 495009